महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2024-25/ No.Au/Trg/11-3/2024-25/ दिनांक: 15 जनवरी 2025 Date: 15 January 2025

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 320

अनुभागीय आदेश संख्या 313 दिनांक 08.01.2025 के आंशिक संशोधन में, नामांकन में निम्नलिखित परिवर्तन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरसीबीकेआई चेन्नई में 20.01.2025 से 24.01.2025 तक ऑनसाइट मोड के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले मिड-करियर ट्रेनिंग लेवल 3 कार्यक्रम के लिए अनुमोदित किया गया है।

In partial modification of Sectional Order No. 313 dated 08.01.2025, the following change in nominations have been approved by competent authority for Mid-career training Level 3 programme scheduled to be conducted at RCBKI Chennai from 20.01.2025 to 24.01.2025 through onsite mode.

SI No	Name of the Official Originally Nominated (Shri/Smt)	Name of Official change in nomination proposed (Shri/Smt)	Training Programme	Period of training
1.	Binju M, Sr. AO/ AMG III (Au I)	Roy Joseph, AAO / AMG I (Au I)	MCTP Level III	20.01.2025 to 24.01.2025
2.	Manikantan Nair S, AAO / AMG III (Au I)	Rajeev J, AAO/ AMG III (Au I)		

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the

online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(महालेखाकार के दिनांक 15 जनवरी 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/Copy to:

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ /प्रशा./रोकड़, हक (ले.प- I)/(ले.प- II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए